



HAMIRPUR POLICE



थाना जरिया

दिनांक 23.11.2023

25 लीटर शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.11.2023 को थाना जरिया पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त अलखराम राजपूत पुत्र भईयाराम राजपूत (उम्र करीब 50 वर्ष) निवासी ग्राम उमरिया थाना जरिया जनपद हमीरपुर को अवैध शराब बनाते हुये ग्राम उमरिया में मुर्गी फार्म के पास पकडा गया मौके से 25 लीटर कच्ची शराब महुआ व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर 150 किग्रा० लहन को नष्ट किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 306/2023 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से नाजाजय 25 लीटर कच्ची शराब महुआ व शराब बनाने के उपकरण बरामद होना ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 01.मु०अ०सं०-306/2023 धारा-60(2) आबकारी अधि० जरिया
- 02.मु०अ०सं०-305/2023 धारा-13 जी एक्ट जरिया
- 03.मु०अ०सं०-73/2021 धारा-60 आबकारी अधि० जरिया
- 04.मु०अ०सं०-44/2020 धारा-60(2) आबकारी अधि० जरिया
- 05.मु०अ०सं०-215/23 धारा-60 आबकारी अधि० जरिया
- 06.मु०अ०सं०-74/2020 धारा-60 आबकारी अधि० जरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ०नि० रविन्द्र कुमार
हे०का० शिवेन्द्र सिंह
का० अभिषेक कुमार

